न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

पृष्ठभूमि

यह पहल वर्ष 1920 में श्री के.जी.आर. चौधरी द्वारा प्रत्येक उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ शुरू हुई।

ट्रेड अथवा ट्रेड के कुछ भागों में मजदूरी निर्धारण तंत्र के संबंध में वर्ष 1928 के अभिसमय संख्या 26 और सिफारिश संख्या 30 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को अपनाया गया।

स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर मजदूरी और आवास, सामाजिक परिस्थितियों और रोजगार जैसे अन्य मामलों की जांच के लिए वर्ष 1943 में एक श्रम जांच समिति नियुक्त की गई थी।

वर्ष 1945 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा एक मसौदा विधेयक पर विचार किया गया था।

स्थायी श्रम समिति ने वर्ष 1946 में अपनी 8वीं बैठक में कार्य घंटे, न्यूनतम मजदूरी और सवेतन अवकाश सहित असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की।

कतिपय नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए दिनांक 11.04.46 को केंद्रीय विधान सभा में एक न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया था। यह वर्ष 1946 में पारित किया गया था तथा दिनांक 15.03.48 से प्रभावी हुआ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कामगारों के हितों के रक्षोपाय हेतु प्रावधान है क्योंकि निरक्षरता और सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण उनका शोषण किए जाने की आशंका होती है और नियोक्ताओं को एक निश्चित अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के लिए क़ानून के अंतर्गत यथा निर्धारित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान हैं, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों में पुरुष एवं महिला एक समान है और इस प्रकार पुरुष और महिला कामगारों के बीच भेदभाव नहीं करता है।

समुचित सरकार

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। किसी राज्य में 1000 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी रोजगार को अनुसूची में अधिसूचित करने और उसमें नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करने के लिए समुचित सरकारों को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में, केंद्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित रोजगार हैं।

अनुसूचित रोजगार जिसके लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है

क्र. सं.	रोजगार का नाम
1	कृषि
2	सड़कों का निर्माण/रखरखाव और भवन संचालन।
3	भवनों का रखरखाव
4	रनवे का निर्माण और रखरखाव।
5	जिप्सम की खदानें।
6	बैराइट्स की खानें।
7	बॉक्साइट की खदानें।
8	मैंगनीज की खदानें।
9	चीनी मिट्टी की खदानें।
10	कायनाइट की खदानें।
11	तांबे की खदानें।
12	क्ले खदानें।
13	पत्थर की खदानें।
14	व्हाइट क्ले की खदानें।
15	ऑर्कायर की खदानें।
16	फायर क्ले की खदानें।
17	स्टेटाइट (सोपस्टोन और टैल्क) खानें।
18	एसबेस्टस की खदानें।
19	क्रोमाइट की खदानें।
20	क्वार्टजाइट खान
21	क्वार्ट्ज की खदानें
22	सिलिका की खदानें।
23	मैग्नेसाइट खान
24	ग्रेफाइट की खदानें।
25	फेलस्पर खान।
26	रेड ऑक्साइड माइंस
27	लेटराइट खदानें।
28	डोलोमाइट की खदानें।
29	लौह अयस्क की खदानें।
30	ग्रेनाइट की खदानें।
31	वोल्फ्राम खान।
32	मैग्नेटाइट खदानें।
33	रॉक फॉस्फेट की खदानें।
34	हेमेटाइट की खदानें।

35	संगमरमर और कैल्साइट खदानें।
36	यूरेनियम की खदानें।
37	अभ्रक की खदानें।
38	लिग्नाइट खानों में रोजगार
39	बजरी खानों में रोजगार
40	स्लेट खानों में रोजगार
41	भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबलों और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग, विद्युत लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों को बिछाने में रोजगार
42	रेलवे माल गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग
43	पत्थर तोड़ना और पत्थर पीसना
44	साफ-सफाई में रोजगार
45	वॉच एण्ड वार्ड

<u>मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करना</u>

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अनुसूचित नियोजनों में निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों की अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों में संशोधन करें। अधिनियम की धारा 3(1) जिसमें समुचित सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/समीक्षा/संशोधन पर नियम बनाती है, को सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

धारा 3. मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करनाः-

(1) उपयुक्त सरकार, इसमें इसके बाद किए गए उपबंध के अनुसार, -

(क) अनुसूची के भाग I या भाग II में विनिर्दिष्ट रोजगार और किसी भी भाग में धारा 27 के तहत अधिसूचना द्वारा जोड़े गए रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करेगी:

बशर्ते कि समुचित सरकार अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट किसी रोजगार में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में पूरे राज्य के लिए इस खंड के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के बजाय राज्य के एक भाग के लिए या पूरे राज्य या उसके भाग में ऐसे रोजगार के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए ऐसी दरें निर्धारित कर सकेगी;

(ख) ऐसे समय अंतराल जैसा कि उचित समझा जाए, ऐसे अंतराल पांच वर्ष से अधिक न हों, पर इस प्रकार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों को संशोधित करेगी:

बशर्ते कि जहां किसी भी कारण से समुचित सरकार ने पांच साल के अंतराल के भीतर किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा नहीं की है, इस खंड में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद न्यूनतम दरों की समीक्षा करने और उनको संशोधित करने से रोक सकता है, यदि आवश्यक हो, और और जब तक वे संशोधित नहीं हो जाते, तब तक पांच साल की उक्त अवधि की समाप्ति से ठीक पहले लागू न्यूनतम दरें लागू रहेंगी।

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था।

<u>मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए मानदंड</u>

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न तो न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित किया गया है और न ही इसमें न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए कोई मानदंड/मापदंड का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2017 में, केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को वर्ष 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा संस्तुत मानदंडों के अनुसार और वर्ष 1992 में रेप्टाकोस एण्ड कंपनी बनाम उसके कामगारों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर संशोधित किया गया था।

वर्ष 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए संस्तुत मानदंड निम्नानुसार हैं:-

क) एक अर्जक के लिए उपभोग की 3 इकाइयां।

ख) प्रत्येक औसत भारतीय वयस्क को 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन की आवश्यकता।

ग) प्रति परिवार 72 यार्ड प्रति वर्ष कपड़े की आवश्यकता।

घ) सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया।

ड.) ईंधन, प्रकाश और व्यय की अन्य विविध मदें कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत होंगी।

इसके पश्चात् वर्ष 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेप्टाकोस एंड कंपनी बनाम उसके कामगारों के मामले में यह निर्देश देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, त्योहारों/समारोहों सहित न्यूनतम मनोरंजन, वृद्धावस्था, विवाह आदि के लिए उपबंध को न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी को नियत करने में एक संदर्शिका(गाइड) के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन की प्रक्रिया

i. समिति प्रणाली द्वारा, या
ii. अधिसूचना प्रणाली द्वारा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए निम्न प्रणालियों को नियत करती है।

इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने में अथवा मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करने में, समुचित सरकार या तो --

(क) निर्धारण या पुनरीक्षण जैसा की मामला हो, के संबंध में जांच करने और ऐसे निर्धारण या पुनरीक्षण के लिए सलाह देने के लिए जितनी आवश्यक हो, समितियां और उप-समितियां नियुक्त करें, या

(ख) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करें और एक तिथि निर्दिष्ट करें, जो अधिसूचना की तिथि से दो महीने से कम न हो, जिस पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत नियुक्त समिति या समितियों या जैसा भी मामला हो, की सलाह पर विचार करने के पश्चात, , उस उप-धारा के खंड (ख) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त सभी अभ्यावेदन समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित, या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करेगी, और जब तक कि ऐसी अधिसूचना अन्यथा उपबंध नहीं करती है, यह इसके जारी होने की तिथि से तीन महीने की समाप्ति पर लागू कर दी जाएगी:

बशर्ते कि जहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।

परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) का उपबंध

मुद्रास्फीति के प्रबावों से न्यूनतम मजदूरी के संरक्षण हेतु, केंद्र सरकार ने वर्ष 1988 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) के विचार को प्रस्तुत किया। तदनुसार, समुचित सरकारें समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करती हैं। केंद्रीय क्षेत्र में, मजदूरी की न्यूनतम दरों पर वीडीए को प्रतिवर्ष दिनांक 01 अप्रैल और 01 अक्टूबर से संशोधित किया जाता है।

राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू)

एनएफएलएमडब्ल्यू की संकल्पना वर्ष 1991 की है जब श्री झीनाभाई दारजी की अध्यक्षता में ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम खपत संबंधी व्यय के संबंध में गरीबी रेखा के निर्धारण में योजना आयोग की कार्य-प्रणाली का अनुपालन करते हुए और किसी कृषक परिवार के औसत मजदूरी अर्जकों और उनके द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्य दिवसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मूल्यों(1990) के आधार पर लगभग 20 रुपये की दैनिक मजदूरी दर मान्य करने की संस्तुति की थी। यद्यपि, यह मजदूरी का निम्नतम स्तर होगा तथापि केंद्र तथा राज्य की सरकारों को कौशल, क्षेत्रों, व्यवसायों अथवा नियोजन अथवा अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर इस स्तर के ऊपर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

एनसीआरएल द्वारा यथासंस्तुत एक समान मजदूरी संरचना के लिए आगे कार्य करते हुए और देश भर में न्यूनतम मजदूरी की असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी(एनएफएलएमडब्ल्यू) की संकल्पना स्वैच्छिक आधार पर की गई थी। एनएफएलएमडब्ल्यू को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसे निम्न तालिका द्वारा देखा जा सकता है:

एनएफएलएमडब्ल्यू में वर्ष-वार परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	वर्ष	एनएफएलएमडब्ल्यू (रुपये में) प्रतिदिन	अभ्युक्तियां
1.	1991	20/-	एनसीआरएल द्वारा संस्तुत
2.	1996	35/-	केंद्र सरकार ने इस संकल्पना पर विचार किया
3.	1998	40/-	सीपीआई(कृषि श्रमिक) में वृद्धि पर आधारित
4.	1999	45/-	-वही-
5.	2002	50/-	सीपीआई(औद्योगिक कामगार) में वृद्धि पर आधारित
6.	2004	66/-	सीपीआई(औद्योगिक कामगार) में वृद्धि और वर्ष 2023 के लिए मंत्रालय के कार्य-समूह की रिपोर्ट पर आधारित
7.	2007	80/-	सीपीआई(औद्योगिक कामगार) में वृद्धि पर आधारित
8.	2009	100/-	-वही-
9.	2011	115/-	-वही-
10.	2013	137/-	-वही-
11	2015	160/-	-वही-
12	2017	176/-	-वही-

चूंकि, वर्तमान में एनएफएलएमडब्ल्यू एक गैर-सांविधिक उपाय है, अतः राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी को इस प्रकार निर्धारित/संशोधित करने के लिए राजी किया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी एनएफएलएमडब्ल्यू से कम न हो।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में उद्योगों में नियोजित कामगारों को मजदूरी के भुगतान को विनियमित किया गया है तथा मजदूरी का भुगतान प्रचलित मुद्रा, या करेंसी नोट या चेक द्वारा या मजदूरों के बैंक खाते में जमा किए जाने में की गई अवैध कटौतियों और/या हुए अनुचित विलम्ब में उनके लिए त्वरित और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया गया है।

मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 - कामगारों को मजदूरी का भुगतान प्रचलित मुद्रा, करेंसी नोट या उनके बैंक खाते में चेक या क्रेडिट द्वारा करने को सक्षम बनाने के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा-6 में दिनांक 16.02.2017 को संशोधन किया गया है। इस संशोधन में यह समर्थकारी उपबंध भी है कि समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसका नियोक्ता उस उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते में चेक द्वारा या मजदूरी क्रेडिट करके मजदूरी का भुगतान करेगा।

केन्द्रीय क्षेत्र नामत: रेलवे, वायु परिवहन सेवाएं, खान और तेल क्षेत्र जैसे उद्योगों या अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी कर्मचारी के बैंक खाते में केवल चेक या क्रेडिट द्वारा भुगतान करने का उपबंध दिनांक 26.04.2017 को अधिसूचित किया गया है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की अनुप्रयोज्यता हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा को वर्ष 1982 में 1600/- रुपये प्रतिमाह नियत किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर मजदूरी की इस अधिकतम सीमा में समय-समय पर संशोधन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की अनुप्रयोज्यता हेतु दिनांक 29.08.2017 से मजदूरी की अधिकतम सीमा को 18,000/- रुपये से बढ़ाकर 24,000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण और भलाई में वृद्धि करने तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। जहां केन्द्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के सामान्यत: औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोद्दिष्ट निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, वहीं राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता चलने पर वे नियोक्ताओं को मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। गैर-अनुपालन के मामले में, अधिनियम में विहित दाण्डिक उपबंधों का सहारा लिया जाता है।